न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00096

1. मोहन लाल आत्मज श्री रामनाथ जाति माली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती पार्वती बाई विधवा पत्नी श्री मोहन लाल जाति माली ।
   1/2. सुरेन्द्र उम्र 35 वर्ष स्व0 श्री मोहन लाल जाति माली निवासीगण ग्राम कोटडी हाल निवासी वार्ड नं0 04 कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/3. श्रीमती संतोष धर्म पत्नी बबलू जाति माली पुत्री श्री मोहनलाल निवासी गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. बद्रीलाल आत्मज श्री रामनाथ जाति माली ।
3. तेजमल आत्मज श्री रामनाथ जी जाति माली निवासीगण ग्राम कोटडी हाल निवासी वार्ड न0 – 04 कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बाला आत्मज श्री आणन्दीलाल जाति माली ।
2. मुकुट बिहारी पुत्र श्री चौथमल जाति माली ।
3. श्रीमती बरजी बाई धर्म पत्नी श्री चौथमल जाति माली ।
4. जगन्नाथ पुत्र श्री रूगनाथ जाति माली निवासीगण ग्राम कोटडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. भंवर लाल आत्मज श्री चौथमल जाति माली निवासी वार्ड नं0 12 जोसिया का खेडा मोहल्ला कापरेन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. हेमराज आत्मज श्री चौथमल जाति माली निवासी वार्ड नं0 12 जोसिया का खेडा मोहल्ला कापरेन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
7. श्रीमती संतोष बाई पुत्री श्री चौथमल जी धर्मपत्नी श्री जमनाशंकर जाति माली निवासी वार्ड छपत्रुरा बन्दूी तहसील व जिला बून्दी ।
8. श्रीमती राममूर्ति पुत्री श्री धूल्या धर्मपत्नी श्री भंवर लाल जाति माली निवासी ग्राम देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
10. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश ।
11. उप पंजीयक लाखेरी उप तहसील लाखेरी जिला बून्दी ।
12. बैंक ऑफ बडौदा शाखा कापरेन जरिये प्रबन्धक तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
13. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कापरेन जरिये प्रबन्धक तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 59 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोटडी तहसील इन्द्रगढ में खाता संख्या 84 में कुल 12 किता की रकबा 1.44 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम घाट का बराना में खाता संख्या 142 में कुल 03 किता की रकबा 3.21 हैक्टर आराजी स्थित है उक्त भूमि भी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । ग्राम बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ में खाता संख्या नया 74 में कुल 07 किता की रकबा 2.25 हैक्टर भूमि दर्ज है उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । चरण संख्या 03 में वर्णित भूमि के सेटलमेंट के पूर्व खसरा नम्बर 46 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा थे उक्त भूमि मनिहाली बाला पुत्र अणदा हिस्सा 1/2 व धुला जगन्नाथ पिसारान श्री रघुनाथ हिस्सा 1/2 दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2022–25 में उक्त भूमि केवल अप्रार्थी कम 01 बाला पुत्र श्री अणदा के खाते में दर्ज है । पक्षकारान के मूल पुरूष स्वर्गीय श्री मोतीलाल आत्मज श्री मन्ना माली थे । मोती लाल जी के 03 पुत्र थे अणदा, नारायण व रूघनाथ उक्त तीनों की मृत्यु हो चुकी जहै । अणदा के एकमात्र पुत्र बाला है जो प्रतिवादी कम 01 है । वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की पैतृक भूमियॉ हैं । प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 03 व 04 में वर्णित भूमियॉ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमियॉ हैं । पक्षकारान के मूल पुरूष मोती लाल जी थे । मोती लाल की मृत्यु के बाद पुराने राजस्व रिकॉर्ड में उनकी तीनों पुत्रों का नाम दर्ज हो गया है लेकिन प्रार्थीगण के दादाजी नारायण की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र प्रार्थीगण के पिता रामनाथ का नाम सेटलमेंट अधिकारियों ने दर्ज नहीं किया क्योंकि प्रार्थीगण के पिता गॉव के बहार रेलवे में नोकरी करते थे जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण के पूर्वजों ने प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित करवा दिया । अप्रार्थीगण उक्त भूमियों को राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजियात को रहन, बेचान एवं

अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2017 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम घाट का बराना की भूमि में वादीगण अपीलान्ट के दादा श्री नारायण के देहावसान के उपरान्त उनके पुत्र (वादीगण अपीलान्ट) के पिता श्री रामनाथ जी का नाम दर्ज नहीं किया गया इससे वादीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक समाप्त नहीं होता है । वादीगण अपीलान्ट अपने दादा के समय से ही 1/3 हिस्से भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी वादीगण के पडदादा मोती लाल पुत्र मन्ना के खातेदारी में दर्ज थी इसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा है । अपीलान्टगण रामनाथ के वारिस हैं । मोती की मृत्यु के बाद ग्राम कोटडी की आराजी उनके तीनों पुत्रों के नाम दर्ज की गई परन्तु ग्राम घाट का बराना एवं बलदेवपुरा की आराजी में अपीलान्ट के पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया है जबकि उसमें भी अपीलान्ट के पिता रामनाथ का नाम भी दर्ज होना चाहिए था । अपीलान्टगण 1/3 हिस्से पर काबिज है। रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को अंतरित करना चाहते हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2017 निरस्त फरमाया जाकर उनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2015 (1) पेज 450, डीएनजे 1996 (एससी) पेज 456, डीएनजे 2000–01 (राज0) (सप्ली0) पेज 371 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक एवं काबिज काश्त हैं । खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरउी 1997 पेज 30, आरआरटी 2013 (1) पेज 133, आरआरटी 2015 (1) 633 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्ट ने हक घोषणा के दावे के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट की ओर से पेश किया गया है जिसमें मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी के वो खातेदार कृषक एवं काबिज काश्त हैं इसमें प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति पर्चा खतौनी संवत् 1932 ग्राम घाट का बराना की संलग्न है जिसमें आणन्दा पुत्र मोती को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक दर्ज किया गया है। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2022–41 संलग्न है जिसमें बाल्या वल्द आणन्दा और रघुनाथ वल्द मोती को ग्राम घाट का बराना की आराजी का सहखातेदार दर्ज किया गया है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2032 संलग्न है जो पठनीय नहीं है । फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 39 के हाल खसरा नम्बर 46 बने हैं और साबिक खसरा नम्बर 46 मिन के नये खसरा नम्बर 120, 121 और 122 बने हैं । संवत् 1950 की ग्राम बलदेवपुरा की आराजी की जमाबन्दी की फोटो प्रति पेश की गई है । इसके अलावा संवत् 2001–05 की जमाबन्दी की फोटो प्रति भी पेश की गई है जिसमें आणन्दा और रघुनाथ वल्द मोती को खातेदार दर्ज किया गया है। संवत् 2006 से लेकर 2009 की बलदेवपुरा की जमाबन्दी की फोटो प्रतियॉ भी पेश की गई हैं । संवत् 2020–23 की जमाबन्दी की फोटो प्रति संलग्न है । संवत् 2034–37 की जमाबन्दी की फोटो प्रति भी संलग्न है। फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2015 ग्राम बलदेवपुरा संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 ग्राम कोटडी एंव घाट का बराना संलग्न है ।

12. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये है। उनके अनुसार ग्राम कोटडी की आराजी पर अपीलान्टगण सहखातेदार दर्ज हैं । अपीलान्टगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी जो कि ग्राम बलदेवपुरा में एवं घाट का बराना में स्थित है वो भी उनके पूर्वज मोतीलाल के खाते से अप्रार्थीगण के खाते में आई है । ग्राम कोटडी की आराजी में अपीलान्टगण का 1/3 हिस्सा दर्ज है परन्तु ग्राम बलदेवपुरा और घाट का बराना की आराजी पुश्तैनी एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की है जिसमें 1/3 हिस्सा निहित है जिस पर वो काबिज काश्त हैं परन्तु सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से उनका नाम दर्ज नहीं किया है । अतः उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

13. पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियॉ संलग्न की गई हैं उनके अनुसार ग्राम घाट का बराना की आराजी एवं ग्राम बलदेवपुरा की आराजी में अपीलान्टगण बहैसियत सहखातेदार दर्ज नहीं हैं और ग्राम कोटडी की आराजी में उनका नाम बहैसियत सहखातेदार दर्ज हैं । अपीलान्टगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है जो उनके पडदादा के खाते से पक्षकारान के खाते में आई है जिसमें उनका 1/3 हिस्सा निहित है । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं परन्तु इस स्टेज

पर संवत् 1985 की ग्राम बलदेवपुरा की फोटो प्रति नकल जमाबन्दी पेश की गई है उसमें खातेदार मोती दर्ज है और ग्राम घाट का बराना संवत् 1991 की जमाबन्दी की फोटो प्रति में मोती वल्द मन्ना खातेदार दर्ज है । इस प्रकार पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड की फोटो प्रतियॉ पेश की गई है उससे प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारों के मूल पुरूष मोती के खाते में दर्ज थी और ग्राम कोटडी की आराजी में अपीलान्टगण सहखातेदार दर्ज हैं और ग्राम बलदेवपुरा एवं घाट का बराना की आराजी में वो सहखातेदार दर्ज नहीं हैं । इन तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण अपीलान्टगण के पक्ष में तय पाया जाता है । सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्टगण के पक्ष में तय पायी जाती है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्वरत नजीरें यहॉ चस्पा होती हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्वरत नजीरें इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने के आधारपर अपीलान्टगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हित–निहित नहीं है ऐसा नहीं माना जा सकता । यदि वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण के पडदादा के खाते से पक्षकारान के खाते में आयी है तो प्रथमदृष्टया उनका हित इस आराजी में निहित है । तद्नुसार रेस्पोडेन्टगण को ताफैसला दावा वादग्रस्त आराजी का विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2017 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्टगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है ग्राम घाट का बराना की आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.56 हैकटर कुल 03 किता की 3.21 हैक्टर एवं ग्राम बलदेवपुरा की आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.21 हैकटर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.20 हैकटर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.24 हैकटर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.86 हैकटर कुल 07 किता की कुल रकबा 2.25 हैक्टर में प्रार्थीगण अपीलान्ट के प्रथमदृष्टया निहित 1/3 हिस्से को ताफैसला दावा विक्रय एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

15. निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/07/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा